



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2( )परावि/प्रशा.1/वि.अ./ट्रेप/भीम/राजसमन्द/2018/ 808 जयपुर दिनांक:- 15-3-18

—: आदेश :-

श्री प्रकाश सिरसाट, विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाकर पी.सी. एक्ट 1988 की धारा 7,13(1)(डी), 13(2) एवं भा.दं.सं. की धारा 120 बी के अन्तर्गत अपराध दर्ज कर तफतीश जारी बतायी गयी है।

अतः श्री सिरसाट को राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(बी) के अन्तर्गत गिरफ्तारी दिनांक 19.2.2018 से निलम्बित (Deemed to have been suspended) किया जाता है, साथ ही श्री सिरसाट की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (पशुपालन विभाग) को लौटायी जाकर श्री सिरसाट को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपनी उपस्थिति निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करें अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके परिपत्र दिनांक 14.12.2000, 10.8.2001 एवं 19.9.2013 के क्रम में आदेश की पुष्टि करने हेतु प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, बीकानेर।
11. जिला कलक्टर, राजसमन्द।
12. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द।
13. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-द्वितीय।
14. पुलिस अधीक्षक प्रथम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
15. विकास अधिकारी पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द।
16. श्री प्रकाश सिरसाट, विकास अधिकारी, पंचायत समिति भीम जिला राजसमन्द द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजसमन्द को पालनार्थ।
17. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
18. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)